

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 08.09.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-20 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना खरगूपुर पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना खोडारे द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. पार्वती पत्नी स्व० मोल्हू नि० नेतौरी थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-134/21, 02. धनराजी पत्नी स्व० श्रीराम नि० ग्राम नेतौरी थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-135/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. पुट्टे पुत्र रामसागर नि० ग्राम भैसापुर बनगांव थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-254/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. ननके उर्फ राजकिशोर सोनकर पुत्र भगवाने सोनकर नि० ग्राम गंजनपुरवा सुसगवां थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-232/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. अलगू पुत्र स्व० रामधीरज नि० ग्राम झौहना डीहा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-176/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. अरविन्द कुमार पुत्र रामकुमार, सूरज पुत्र सुरेश निषाद, रामबाबू निषाद पुत्र चन्द्रबली निषाद व सोल्जर पुत्र घनश्याम निवासीगण मल्लाहन पुरवा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 04 किलो यूरिया व 500 ग्राम नौसादर बरामद कर मु०अ०सं०-291/21, धारा 60/72 आबकारी अधि० व 272 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 08.09.2021

चोरी व डकैती की योजना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी के 04 मोबाइल व 02 चार्जर बरामद—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर पुलिस ने चोरी व डकैती की योजना में वांछित अभियुक्त कालू उर्फ हरिप्रसाद गुप्ता पुत्र महादेव गुप्ता नि० पानीपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 04 अदद चोरे के मोबाइल व 02 अदद चार्जर बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त थाना मनकापुर में चोरी व डकैती की योजना से सम्बन्धित अभियोगों में वांछित था।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. कालू उर्फ हरिप्रसाद गुप्ता पुत्र महादेव गुप्ता नि० पानीपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—263/21, धारा 399,401,411 भादवि थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०—209/21, धारा 380,411 भादवि थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी:—

01. 04 मोबाइल।
02. 02 चार्जर।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० रामप्रकाश यादव मय टीम।